



३५

नोंदणीचे प्रमाणपत्र

याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यात येते की, खाली वर्णन केलेली सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था ही आज, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० (सन १९५० चा मुंबई अधिनियम क्रमांक २९) या अन्वये **कोल्हापूर**

**भाग, कोल्हापूर** येथील सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी कार्यालयात योग्य रीतीने नोंदण्यात आलेली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेचे नाव

**श्री. सुशीला दानचंद बोडावत**

**रिलेबल ट्रस्ट, जयसिंगपूर, ता. शिरोक, जि. कोल्हापूर**

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थांच्या नोंदणी पुस्तकातील क्रमांक **ई-१३५५- (कोल्हापूर)**

**संजय दानचंद बोडावत, रा. जयसिंगपूर** यांस प्रमाणपत्र दिले.

आज दिनांक **३०/१०/१९९६** रोजी माझ्या सहीनिशी दिले.

शिवका



**श. प्रभाकर जय शिरोक**  
सही  
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय,  
पदनाम **हापूर प्रदेश, कोल्हापूर**